

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर वनमण्डल विदिशा अन्तर्गत वनपरिक्षेत्र सिरोंज के वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 515, 517, 518 रकबा 70.88 हेक्टेयर वनभूमि सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग गंज बासौदा, जिला विदिशा को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

दिनांक:

स्थान: भोपाल


 (अशोक कुमार)
 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
 म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
 (प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)